POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 11.02.2026

1. थाना साइबर क्राइम पुलिस व थाना सेक्टर-126 पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए क्रू-शिप कंपनियों में जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 लैपटॉप, 07 मोबाइल फोन, कॉलिंग डाटा शीट, 04 मोहर एवं फर्जी दस्तावेज बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **11.02.2026** को **थाना साइबर क्राइम पुलिस व थाना सेक्टर-126 पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए क्रू-शिप कंपनियों में जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 04 अभियुक्त 1. राहुल पुत्र मुन्ना लाल 2. प्रशान्त पुत्र श्रीओम 3. विशाल शर्मा पुत्र रवि शर्मा 4. सैफ वारिश पुत्र शमसाद अली को सेक्टर- 132 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 03 लैपटॉप, 07 मोबाइल फोन, 26 प्रति कॉलिंग डाटा शीट, 21 रजिस्टर (कॉलिंग डाटा), 04 मोहर, 04 जॉइनिंग लेटर व अन्य बैंक सबंधी दस्तावेज (बैंक पासबुक, एटीएम आदि) बरामद किए गए है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तों द्वारा सेक्टर-132, नोएडा स्थित SEA HIRE MARINE SERVICE COMPANY नामक फर्जी कंपनी संचालित कर क्रू शिप में नौकरी दिलाने के नाम पर सुनियोजित तरीके से साइबर ठगी की जा रही थी। यह गिरोह विभिन्न पदों पर नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों को कॉल व ऑनलाइन माध्यम से संपर्क कर उन्हें आकर्षक वेतन व विदेश में नियुक्ति का झांसा देता था तथा रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग व अन्य शुल्क के नाम पर प्रति व्यक्ति लगभग 01 लाख से 01 लाख 20 हजार रुपये तक की धनराशि वसूल करता था। इस प्रकार ठगी कर अभियुक्तों द्वारा विभिन्न बैंक खातों में करीब 01 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए। अभियुक्तों से बरामद बैंक पासबुक/ बैंक खातों के संबंध में केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में शिकायतें दर्ज पाई गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. राहुल पुत्र मुन्ना लाल निवासी जालौन, उत्तरप्रदेश, उम्र 25 वर्ष।
2. प्रशान्त पुत्र श्रीओम निवासी अलीगढ़, उत्तरप्रदेश, उम्र 25 वर्ष।
3. विशाल शर्मा पुत्र रवि शर्मा निवासी गौतमबुद्धनगर, उत्तरप्रदेश, उम्र 20 वर्ष।
4. सैफ वारिश पुत्र शमसाद अली निवासी कानपुर नगर, उत्तरप्रदेश, उम्र 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 0015/2026 धारा 318(4),319(2),336(3),340(2),3(5),61(2) बीएनएस व 66,66D आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 03 लैपटॉप
2. 07 मोबाइल फोन
3. 26 प्रति कॉलिंग डाटा शीट
4. 21 रजिस्टर (कॉलिंग डाटा)
5. 04 मोहर
6. 04 जॉइनिंग लेटर
7. अन्य बैंक सबंधी दस्तावेज (बैंक पासबुक, एटीएम आदि)

साइबर जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव बिंदु--

1. भरोसेमंद जॉब पोर्टल चुनें: नौकरी के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या प्रमाणित जॉब पोर्टल का ही इस्तेमाल करें।
2. अग्रिम शुल्क से सावधान रहें: किसी भी जॉब के लिए कॉल या मैसेज पर पैसे मांगने वाले धोखेबाज हो सकते हैं।
3. व्यक्तिगत व बैंक विवरण न दें: कभी भी पासवर्ड, OTP या बैंक डिटेल किसी को शेयर न करें।
4. ऑफर की सत्यता जांचें: आकर्षक या जल्दी जॉब दिलाने वाले ऑफर को इंटरनेट या हेल्पलाइन से पहले जांचें।
5. संदिग्ध गतिविधि की सूचना दें: ठगी या संदिग्ध कॉल/ईमेल मिलने पर तुरंत पुलिस/साइबर सेल को रिपोर्ट करें।

2. थाना बिसरख पुलिस द्वारा रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कूटरचित दस्तावेज, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर व अन्य फर्जी दस्तावेज व दस्तावेज तैयार करने के उपकरण बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण अश्वनी व पवन चौधरी के द्वारा वादी से रेलवे में नौकरी दिलाने की नाम पर धोखाधडी से करीब 08 लाख रूपये ले लिये थे तथा एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर वादी को दे दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 103/2026 धारा 318(4)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- थाना बिसरख पुलिस द्वारा दिनांक **11.02.2026** को अभियुक्त 1.अश्वनी सारस्वत पुत्र विनोद सारस्वत 2.पवन चौधरी पुत्र हरवीर चौधरी को रेलवे फाटक चिपियाना बुजुर्ग के पास से **गिरफ्तार** किया गया तथा अश्वनी सारस्वत, पवन चौधरी की निशादेही पर उनके साथी आकिल उर्फ अयान पुत्र श्री जमशेद को शाहबेरी से गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका--

गिरफ्तार अभियुक्तगण से फर्जी कूटरचित रेलवे के ज्वाइनिंग लेटर, भारत सरकार द्वारा जारी फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र व कूटरचित रेलवे के रबर की मौहरें अन्य फर्जी दस्तावेज कम्प्यूटर, प्रिंटर आदि सामान, एक स्कूटी बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण--

1. अश्वनी सारस्वत पुत्र विनोद सारस्वत उम्र 46 वर्ष पता जयपुरिया सोसायटी, थाना क्रासिंग रिपब्लिक जिला गाजियाबाद
2. पवन चौधरी पुत्र हरवीर चौधरी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम रुहनला, आस्था सिटी, थाना सिकन्दरा, आगरा
3. आकिल उर्फ अयान पुत्र श्री जमशेद निवासी ग्राम नहाल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष

अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 103/2026 धारा 318(4)/352/351(3) बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

2 एन्ड्रायड मोबाइल, 01 एप्पल फोन, 03 कूटरचित रेलवे की रबर मोहरें, 01 प्रिन्टर, 01 सीपीयू, 01 एलईडी मानीटर 15 टिकिट आईडी कार्ड कूटरचित, 3 बर्थ सर्टिफिकेट कूटरचित, 06 नोटिस कूटरचित, 02 इनडेमनिटी बोण्ड कूटरचित, 08 ज्वाइनिंग लेटर कूटरचित, 02 डिपार्टमेंटल मीमो कूटरचित, 02 भारतीय रेलवे आवेदन पत्र, 04 आधार कार्ड कूटरचित, 01 चालान रिसिप्ट करेक्टर सर्टिफिकेट कूटरचित, 01 मेडिकल एम्पलोई कार्ड कूटरचित, 04 चरित्र प्रमाण पत्र कूटरचित, 07 नोटिस कूटरचित, एक स्कूटी बिना नम्बर के 207 एमवी एक्ट में सीज बरामद।